संख्या–1399 / XXX(2) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमायूँ (पौड़ी / नैनीताल),
उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2005

विषय–राज्याधीन सेवाओं / पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं / पदों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक–2 / 2001–53 (1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा निर्धारित किया गया है।

2– राज्याधीन सेवाओं / पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती रही है। समय–समय पर विभिन्न स्तरों से इन वर्गों / श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जाती रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं / पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।